

(भारत के राजपत्र के भाग-11, खण्ड-3(1) में दिनांक.....को प्रकाशनार्थ)

संख्या - 16016/2/2004-अ.भा.से.-(11) - क

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 15, 2004

25 NOV 2004

### अधिसूचना

सा.का.नि.सं. .... भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951(1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार झारखण्ड सरकार के परामर्श से, भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन)- द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2004 है ।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में, " झारखण्ड " शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

### झारखण्ड

1. राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ पद	78
प्रधान मुख्य वनपाल	1
प्रधान मुख्य वनपाल (जैव विविधता संरक्षण और मुख्य वन्य जीव वार्डन)	1
अपर प्रधान मुख्य वनपाल ( विकास )	1


अपर प्रधान मुख्य वनपाल (कार्ययोजना, अनुसंधान, जे.एफ.एम. और निगरानी )	1
अपर प्रधान मुख्य वनपाल (कार्मिक तथा मानव संसाधन विकास)	1
क्षेत्रीय मुख्य वनपाल (हजारीबाग, पलामू, रांची, संथाल परगना तथा सिंहभूमि)	5
मुख्य वनपाल, वन्य जीव तथा जैव विविधता	1
मुख्य वनपाल , कार्य योजना तथा अनुसंधान	1
मुख्य वनपाल, जे.एफ.एम. और निगरानी	1
मुख्य वनपाल , विकास तथा टी.एस.पी. क्षेत्र	1
मुख्य वनपाल, विकास , अन्य क्षेत्र वनपाल,	1 7
(प्रादेशिक मंडल-बोकारो, देवघर, दुमका, हजारीबाग, रांची, दक्षिणी तथा पश्चिमी मंडल)	
वनपाल (वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी मंडल-हजारीबाग, जमशेदपुर,पलामू तथा रांची)	4
वनपाल (राज्य व्यापार मंडल-पलामू, रांची, सिंहभूमि)	3
वनपाल तथा क्षेत्र निदेशक, हाथी परियोजना, जमशेदपुर	1
वनपाल तथा क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, डाल्टनगंज	1
वनपाल, वन्य जीव , रांची	1
वनपाल, प्रधान मुख्य वनपाल का कार्यालय, रांची	1
वनपाल, अनुसंधान मंडल, रांची	1
वनपाल, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास, रांची	1
वनपाल, कार्ययोजना, रांची	1

निम्नलिखित 11 पद वनपाल के रैंक में अस्थायी रूप से उन्नत किए गए हैं और इतने ही पद उप वनपाल के रैंक में अधिसूचना की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगली संवर्ग समीक्षा होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रास्थगित रखे गए हैं :-

वनपाल (कार्ययोजना), चाईबासा, हजारीबाग तथा डाल्टनगंज	3
वनपाल, कोर एरिया, बाघ परियोजना, डाल्टनगंज	1
वनपाल, बफर एरिया, बाघ परियोजना, डाल्टनगंज	1
वनपाल तथा निदेशक , बिरसा मुंडा जैविक पार्क, रांची	1

वनपाल तथा निदेशक, प्रशिक्षण विद्यालय, महीलौंग	1
वनपाल , आयोजना, रांची	1
वनपाल तथा राज्य वनवृक्ष विज्ञानी , रांची	1
वनपाल, संसाधन सर्वेक्षण, रांची	1
वनपाल, वृक्षारोपण अनुसंधान तथा मूल्यांकन, रांची	1
उप वनपाल (प्रादेशिक प्रभाग-बोकारो, उत्तरी चाईबासा, दक्षिणी चाईबासा , उत्तरी चतरा, दक्षिणी चतरा, उत्तरी डाल्टनगंज, देवघर, डालोहम, धनबाद, दुमका, उत्तरी गढ़वा, दक्षिणी गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, पूर्वी हजारीबाग, पश्चिमी हजारीबाग, कोडरमा, कोल्हन लातेहर, पोरहाट, पूर्वी रांची, पश्चिमी रांची, साहबगंज और सारंदा)	24
उप वनपाल (वनरोपण प्रभाग - चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूमि)	6
उप वनपाल, वन्य जीव, रांची	1
<b>कुल</b>	<b>78</b>
2. उपर्युक्त मद 1 की 20% की दर से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व	16
3. उपर्युक्त मद 1 की 25% की दर से राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व	20
4. उपर्युक्त मद 1 की 3.5% की दर से प्रशिक्षण रिज़र्व	03
5. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, (उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 % से अधिक नहीं)	39

6.	उपर्युक्त मद 1 की 16.5% की दर से छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व	13
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+6-5)	91
	सीधी भर्ती वाले पद	91
	पदोन्नति वाले पद	39
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	130

  
(आलोक टण्डन)  
निदेशक (सेवाएँ)

**टिप्पणी :** इस अधिसूचना को जारी करने से पहले झारखण्ड (भारतीय वन सेवा) संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 130 थी ।

**टिप्पणी :** मूल विनियम दिनांक 31.10.1966 की अधिसूचना संख्या 6/4/66-अ.भा.से.-IV द्वारा सा.का.नि. संख्या 1072 के रूप में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 को नीचे दी गई अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :-

क्रम संख्या	सा.का.नि.सं.	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66
2	17	7.1.67
3.	653	6.5.67
4.	654	6.5.67
5	689	13.5.67
6	1083	8.6.68
7	1887	9.8.69
8	80	17.1.70
9	485	21.3.70
10	545	4.4.70
11	1802	24.10.70
12	135	24.1.75
13	136	24.1.71
14	665	8.5.71
15	45(अ.)	20.1.72
16	47(अ.)	20.1.72
17	48(अ.)	20.1.72
18.	478(अ.)	4.12.72
19.	192(अ.)	2.4.73
20.	321(अ.)	27.6.73
21.	391(अ.)	10.8.73
22.	142	24.1.71
23.	28(अ.)	8.5.71
24.	273(अ.)	11.1.72
25.	300(अ.)	20.1.72
26.	812	29.4.72
27.	2227	16.8.75

28.	71	17.1.76
29.	407(अ.)	16.6.76
30.	1064	24.7.76
31.	444 (अ.)	6.7.76
32.	750.(अ.)	3.8.76
33.	93 (अ.)	26.2.77
34.	631 (अ.)	5.10.77
35.	13 (अ.)	6.1.78
36.	360(अ.)	13.7.78
37.	436(अ.)	29.8.78
38.	486(अ.)	25.8.80
39.	562(अ.)	30.9.80
40.	626 (अ.)	3.11.80
41.	631 (अ.)	4.11.80
42.	21 (अ.)	17.1.81
43.	31 (अ.)	23.1.81
44.	84 (अ.)	27.2.81
45.	456 (अ.)	9.5.81
46.	360 (अ.)	23.5.81
47.	276 (अ.)	2.6.81
48.	386 (अ.)	9.6.81
49.	602 (अ.)	16.11.81
50.	604 (अ.)	17.11.81
51.	653 (अ.)	10.12.81
52.	657 (अ.)	11.12.81
53.	294 (अ.)	1.4.82
54.	354 (अ.)	26.4.82
55.	356 (अ.)	27.4.82
56.	778 (अ.)	31.5.82

57.	530 (अ.)	20.8.82
58.	24 (अ.)	12.1.83
59.	126 (अ.)	28.2.85
60.	308 (अ.)	26.3.85
61.	327 (अ.)	29.3.85
62.	489 (अ.)	12.6.85
63.	266	12.4.86
64.	654	30.8.86
65.	763.	20.9.86
66.	798.	27.9.86
67.	796	27.9.86
68.	835	4.10.86
69.	837	4.10.86
70.	880	18.10.86
71.	164	14.3.87
72.	407	30.5.87
73.	619	15.3.87
74.	802	31.10.87
75.	826	7.11.87
76.	835	14.10.87
77.	836	14.11.87
78.	432 (अ.)	6.4.88
79.	546 (अ.)	4.5.88
80.	834 (अ.)	3.8.88
81.	352 (अ.)	10.3.89
82.	553 (अ.)	16.5.89
83.	455	1.7.89
84.	832	11.11.89
85.	916	16.12.89
86.	933	30.12.89
87.	590	22.9.90
88.	603	29.9.90

89.	728	8.12.90
90.	730	8.12.90
91.	125 (अ.)	5.3.91
92.	246	13.4.91
93.	473	24.8.91
94.	527	14.9.91
95.	565	5.10.91
96.	584	19.10.91
97.	538 (अ.)	6.8.93
98.	685 (अ.)	4.11.93
99.	687 (अ.)	4.11.93
100.	514	22.10.94
101.	513	22.10.94
102.	321 (अ.)	31.3.95
103.	213	29.4.95
104.	278	10.6.95
105.	264	6.6.95
106.	339	22.7.95
107.	375	12.8.95
108.	480	18.11.95
109.	479	18.11.95
110.	503	2.12.95
111.	537	9.12.95
112.	75 (अ.)	5.2.96
113.	77 (अ.)	5.2.96
114.	231	8.6.96
115.	233	8.6.96
116.	589 (अ.)	26.12.96
117.	587 (अ.)	26.12.96
118.	585 (अ.)	26.12.96
119.	17 (अ.)	17.1.97
120.	413	20.12.97



121	741 (अ.)	31.12.97
122	40	29.1.98
123	617 (अ.)	14.1.98
124	372	10.12.99
125	374	10.12.99
126	824 (अ.)	21.10.2000
127	827 (अ.)	21.10.2000
128	830 (अ.)	21.10.2000
129	141	27.4.2002
130	143	27.4.2002
131	139	27.4.2002
132	145	27.4.2002
133	147	27.4.2002
134	372	21.9.2002
135	173	26.4.2003

*अ. अ. अ.*  
(आलोक टण्डन)  
निदेशक (सेवाएँ)


सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत-सरकार-मुद्रणालय,  
मायापुरी, रिंग रोड,  
नई दिल्ली ।

संख्या 16016/2/2004-अ.भा.से.-11 (क) नई दिल्ली **25** नवम्बर, 2004

प्रति, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :

1. मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार, रांची ( 10 अतिरिक्त प्रतियाँ)
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ( झारखण्ड को छोड़कर) के मुख्य सचिव
3. गृह मंत्रालय (आई.पी.एस.-1, अनुभाग) नई दिल्ली ( 5 अतिरिक्त प्रतियाँ)
4. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (आई.एफ.एस.) सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली  
( 15 अतिरिक्त प्रतियाँ)
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
6. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ( 10 अतिरिक्त प्रतियाँ)
7. समस्त महालेखाकार,
8. लोक सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली
9. राज्य सभा सचिवालय (समिति शाखा), नई दिल्ली
10. गृह मंत्रालय (यू.टी.एस. अनुभाग) नई दिल्ली (पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

  
(आलोक टण्डन)  
निदेशक (सेवाएँ)

डैस्क अधिकारी (v)/अ.भा.से.(III)/स्था. अधि. (सी.एम.)

आन्तरिक वितरण - 150 अतिरिक्त प्रतियाँ